



सत्यमेव जयते

(☎ 022-22862703)

ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
2282 4354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग

IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन

Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग

C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400001

सं.No. 7/14/2016/आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/ 17165

दिसंबर December 28, 2016

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीएचएसएस के तहत परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए आय की सीमा में संशोधन

Subject : Revision of income limit for dependent family members under CHSS

छठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर मुख्य हितग्राही पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने वाले तथा मुख्य हितग्राही के सामान्यतः साथ रहने वाले माता-पिता को सीएचएसएस में शामिल करने के उद्देश्य के लिए आय की सीमा दिनांक 30/03/2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/14/98-आईआरएंडडब्ल्यू/65 के द्वारा बढ़ाकर ₹8000/- की गई थी। जबकि छठवें केंद्रीय वेतन आयोग के बाद संतान की आश्रितता के संबंध में आय की सीमा संशोधित नहीं की गई थी। दिनांक 27/07/2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/7/99-आईआरएंडडब्ल्यू/200 के द्वारा विभाग ने संतान के लिए आय की सीमा ₹4000/- निर्धारित की थी।

On implementation of recommendations of 6th CPC the income limit for dependency for the purpose of extending CHSS coverage to the parents who are wholly dependent on the prime beneficiary and are normally residing with the prime beneficiary was enhanced to ₹8000/- vide OM No. 7/14/98-IR&W/65 dated 30/03/2009. Whereas, in respect of the dependency of children, the income limit was not revised after 6th CPC. Department had fixed the income limit for children to ₹4000/-vide OM No. 1/7/99-IR&W/200 dated 27/07/2000.

2. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के फलस्वरूप कर्मचारी के आश्रित माता-पिता तथा संतान के संबंध में सीएचएसएस के तहत आय की उच्चतम सीमा में संशोधन लाने का मामला इस विभाग में विचाराधीन रहा है। विभाग के सक्षम प्राधिकारी ने संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है तथा सीएचएसएस के तहत संगत खंडों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :

Consequent on implementation of 7th CPC recommendations, revision of income ceiling limit under CHSS in respect of dependent parents and children of employee has been under consideration in the Department. The competent

(Handwritten signature)

authority in the Department has accorded the approval for the same and the relevant Clauses under CHSS are substituted as follows:

- (i) सीएचएसएस खंड 4.1 (d)- मुख्य हितग्राही के माता-पिता जो पूरी तरह मुख्य हितग्राही पर निर्भर हैं और सामान्यतः मुख्य हितग्राही के साथ रह रहे हैं, तथा साथ ही साथ दोनों यानी माता-पिता की सभी स्रोतों से 'मासिक आय ₹9000/- तथा विचारण के दिन की मंहगाई राहत (DR)' से अधिक नहीं है (DR वह राशि होगी जो विचारण की तारीख को पेंशनर द्वारा ली जा रही है, न कि विचारण की तिथि की देय राशि है)।

CHSS Clause 4.1(d)- Parents of the prime beneficiary who are wholly dependent on the prime beneficiary and normally residing with the prime beneficiary and further provided the monthly income of both the parents from all sources does not exceed ₹9000/- plus the amount of Dearness Relief (DR) as on the date of consideration (DR will be the amount drawn by a pensioner on the date of consideration and not the amount of DR due on the date of consideration).

- (ii) सीएचएसएस खंड 4.1 B(b)(i)- अंशकालिक रोजगार के मामले में संतान को लाभप्रद रूप से रोजगारशुदा नहीं माना जाएगा, यदि संबंधित नियोक्ता द्वारा ऐसा प्रमाणित किया जाता है और मासिक आय ₹ 6000/- से अधिक नहीं है।

CHSS Clause 4.1.B(b)(i)- Children will not be considered as gainfully employed in case of part time employment, if the same is certified to be so by the employer concerned and the monthly income does not exceed ₹6000/-.

3. उपर्युक्त आय की उच्चतम सीमा में संशोधन 1.1.2016 से लागू है।

The revision of above income ceiling limits is effective from 1.1.2016.

(एन. जी. कृष्णन N. G. Krishnan)

उप सचिव (आईआरएंडडब्ल्यू) Dy. Secretary (IR&W)

सीएचएसएस का नियंत्रण करने वाले सभी प्राधिकारी

All CHSS Administering Authorities :

- (1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
- (2) निदेशक, आईजीकार, कल्पाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
- (3) निदेशक, जीएसओ, कल्पाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
- (4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
- (5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
- (6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
- (7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur

- (8) निदेशक, एएमडी, हैदरबाद Director, AMD
- (9) निदेशक, आरआरकैट, इंदौर Director, RRCAT
- (10) निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता Director, VECC
- (11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुंबई Director (HR), NPCIL
- (12) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी Head, Medical Division, BARC
- (13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कल्पाक्कम
Chief Medical Officer, DAE Hospital Kalpakkam

प्रतिलिपि Copy to :

- (1) इकाइयों के सभी प्रमुख All Heads of Units
- (2) इकाइयों के सभी प्रशासनिक प्रमुख All Administrative Heads of Units
- (3) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o chairman, AEC, Secretary, DAE
- (4) संयुक्त सचिव (ए एंड ए), पऊवि के निजी सचिव PS to JS(A&A), DAE
- (5) निदेशक, आईएमएससी Director, I.M.Sc.
- (6) प्रशासनिक अधिकारी-III, बीएआरसी अस्पताल, बीएआरसी AO-III, BARC Hospital, BARC
- (7) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
- (8) महासचिव, एनएफएईई General Secretary, NFAEE

